न्यायालय श्रीमान् राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, अजमेर

अपील टी.ए संख्या.....51...../2026 जिला अजमेर

2026/51

1. रूपा देवी पत्नी भंवरलाल
2. शंकर पुत्र भंवरलाल
3. जयकिशन पुत्र श्री भंवरलाल
4. फतेह सिंह रावत पुत्र श्री भंवरलाल
5. किरण देवी पुत्री भंवरलाल
6. चांदा देवी पुत्री भंवरलाल
7. तारा देवी पुत्री भंवरलाल

समस्त जातियान रावत निवासीगण ग्राम नेडलिया तहसील पुष्कर जिला अजमेर।

—— अपीलांट्स

51/2026
2/2/26

बनाम्

1. ओम सिह पुत्र छोटू
2. कमला पुत्री छोटू
3. किशन सिंह पुत्र छोगा
4. गंगा पत्नी छोगा (मृतक) जरिये वारिसान :–
   4/1 महेन्द्र सिह पुत्र छोगा
   4/2 शंकर सिंह पुत्र छोगा
5. गिरधारी पुत्र उगमा
6. गोपाल पुत्र छोटू
7. छीतर पुत्र कज्जा (मृतक) जरिये वारिसान :–
   7/1 हसी पुत्री छीतर (मृतक) जरिये वारिसान :–
   7/1/1 भंवर पुत्र हसी
   7/1/2 सोहन पुत्र हसी
   7/1/3 नीरम पुत्र हसी
   7/1/4 चक्का पुत्री हसी

7/1/5 अमरी पुत्री हसी

7/2 शांति पुत्री छीतर (मृतक) जरिये वारिसान :–

7/2/1 मदन पुत्र शांति

7/2/2 जीवण पुत्र शांति (अविवाहित फौत)

7/2/3 सीता पुत्री शांति

7/3 डामरी (नाऔलाद फौत)

7/4 रामू (नाऔलाद फौत)

8. तेज सिह दत्तक पुत्र नंगा

9. तीजी पुत्री मांगू

10. नर्मदा पत्नी मांगू

11. नानी पुत्री मांगू

12. पांच पुत्र देवी (मृतक) जरिये वारिसान :–

12/1 जीवण पुत्र पांचू

12/2 कोया पुत्री पांचू

12/3 शोभा पुत्र पांचू

12/4 सेठा पुत्री पांचू

12/5 पिंकी पुत्री पांचू

13. लाली पत्नी देवी (फौत)

14. पांचू पुत्र धर्मा (मृतक) जरिये वारिसान :–

14/1 मोहनी पुत्री पांचू

15. बीरम पुत्र देवी (फौत)

16. बीरमा पुत्र धर्मा (नाऔलाद फौत)

17. मुकेश पुत्र उगमा

18. मंगला पुत्र बालू (मृतक) जरिये वारिसान :–

18/1 पप्पू पुत्र मंगला

18/2 शंकर पुत्र मंगला (मृतक) जरिये वारिसान :–

18/2/1 रतनी पत्नी शंकर

18/3 मीरा पुत्री मंगला

18/4 हीरा पुत्री मंगला (फौत)

19. मदन पुत्र देवी

20. मोती पुत्र धर्मा (नाऔलाद फौत)

21. राजेन्द्र पुत्र उगमा

22. राधा पत्नी उगमा

23. रामा पत्नी धर्मा (मृतक) जरिये वारिसान :–

23/1 पेमी पुत्री रामा (फौत)

24. लक्ष्मी पुत्र छोटू

25. शंकर सिंह पुत्र छोगा

26. श्रवण सिह पुत्र राम सिह

27. शारदा पुत्री उगमा (मृतक) जरिये वारिसान :–

27/1 मोनू पुत्र शारदा

27/2 मोहित पुत्र शारदा

27/3 काली पुत्री शारदा

28. सुगना देवी पत्नी श्रवण सिंह

29. संतोष पुत्री छोटू

30. जेती पत्नी पांचू

31. मेवा पुत्र बालू (मृतक) जरिये वारिसान :–

31/1 बोदू पुत्र मेवा

31/2 पाई पुत्री मेवा

31/3 माया पुत्री मेवा

31/4 काजोल पुत्री मेवा

31/5 खुशी पुत्री मेवा

32. मोहन पुत्र बालू

33. भंवर लाल पुत्र बालू (मृतक) जरिये वारिसान :–

33/1 पन्ना पुत्र भंवरलाल

33/2 बन्ना सिह पुत्र भंवरलाल

33/3 रतन सिंह पुत्र भंवरलाल

33/4 बच्चन पुत्र भंवरलाल

33/5 चीकू सिंह पुत्र भंवरलाल

33/6 विष्णु सिंह पुत्र भंवरलाल

33/7 कंचन पुत्री भंवरलाल

33/8 लीला पुत्री भंवरलाल

समस्त जाति रावत निवासी नेडलिया तहसील पुष्कर जिला अजमेर।

34. रामप्रसाद पुत्र रामधन जाति ब्राह्मण निवासी पुष्कर जिला अजमेर।

35. राजस्थान सरकार जरिये विद्वान तहसीलदार पुष्कर जिला अजमेर।

36. उप पंजीयक महोदय पुष्कर जिला अजमेर।

—— रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी महोदय, पुष्कर दिनांक 5.5.2025 अन्तर्गत प्रार्थना पत्र संख्या 35/2025 बछनवानी रूपादेवी वगैरह बनाम ओमसिंह वगैरह।

———

श्रीमान्‌जी,

अपीलांट्स अपील के संक्षिप्त तथ्यों सहित निम्न निवेदन करते हैं :--

यह कि वादीगण/अपीलांट्स द्वारा विद्वान उपखण्ड अधिकारी महोदय, पुष्कर के समक्ष राजस्व वाद वास्ते उद्घोषणा खातेदारी/दुरुस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्ट्स के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम नेडलिया तहसील पुष्कर में निम्न वर्णित आराजीयात अवस्थित है जिसका वर्णन निम्न प्रकार है :--

चौ.ख.नं.	रकबा	व.ख.नं.	रकबा	आ.ख.नं.	रकबा
391	1–3–10	446	1–3–10	559	0.04
				560	0.12
				564/1005	0.03
647	1–7–0	713	1–7–0	825	0.12
				825/1266	0.01
				825/1267	0.01

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

रूपा देवी बनाम ओमसिंह वगैरह

किस्म मुकदमाः—225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या 2026/51 (पुष्कर)

रिमांड 5/2/26

	श्री अजीतसिंह राठौड	
02.02.2026	रूपा देवी बनाम ओमसिंह वगैरह (2026/51) यह अपील श्री अजीतसिंह राठौड एडवोकेट ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर द्वारा प्रकरण संख्या 35/2025 में पारित आदेश दिनांक 05.05.2025 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश की गई। अपील बाद जांच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील मियाद बाहर पेश की गई, जिसके समर्थन में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम संलग्न है। अपील दर्ज रजिस्टर की जावें। पत्रावली वास्ते सुनवाई प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र स्थगन दिनांक 04.02.2026 को पेश हो।	
04.02.2026	पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम बाबत कथन किया कि दिनांक 05.05.2025 को विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पुरजोर शब्दों में विविध रूप से निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण के पूर्वज जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र क्रयशुदा वर्किंग जमाबंदी में दर्ज खातेदारी/काश्तकारी की आराजीयात बंदोबस्त विभाग द्वारा अकारण पुनः विक्रेता के वारिसान के नाम दर्ज कर दी गयी है जिसकी आड में प्रार्थीगण को बेदखल कर रहन, बेचान, मुंतकिल करने पर सख्त आमादा हैं लेकिन स्थगन आदेश जारी नहीं फरमा कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी करने के आदेश प्रदान कर दिये गए एवं हरचन्द रूप से प्रकरण को अतिशीघ्र बहस हेतु परिपूर्ण करवाने का भरसक प्रयास करने के बावजूद प्रकरण नोटिस एवं कायम मुकाम कार्यवाही में चल रहा है जिसकी आड में अप्रार्थीगण भूमि को अतिशीघ्र पश्चातवर्ती रूप से रहन, बेचान मुंतकिल करने पर सख्त आमादा हो गये है जिससे अधिवक्ता महोदय की कानूनी सलाह के अनुसार माननीय न्यायालय में अपील प्रस्तुती हेतु दिनांक 17.11.2025 को आदेशिका की नकल प्राप्त की गयी लेकिन पुनः अधिवक्ता महोदय द्वारा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र को परिपूर्ण कर बहस हेतु काफी प्रयास किया गया लेकिन प्रार्थीगण को बुलाकर दिनांक 28.01.2026 को माननीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करने की सलाह दी गयी एवं प्रमाणित प्रतिलिपियां जो पूर्व में प्राप्त की जा चुकी थी भी प्रार्थीगण को प्रदान की गयी जिससे प्रार्थीगण दिनांक 29.01.2026 को अजमेर आकर अभिभाषक महोदय से मिले जिन्होंने पंजीकृत विक्रय पत्र एवं जमाबंदीयों तथा नामान्तकरण की प्रतिपिलियां मांगी जो दिनांक 30.01.2026 को प्रदान की गयी तत्पश्चात दिनांक 31.01.2026 को रविवार के दिन अपील तैयार करवाई एवं आज अविलम्ब माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर उपरोक्त कारण से अपील प्रस्तुती में हुई देरी को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार कर गुणावगुण पर निर्णित फरमाकर अनुग्रहीत करावें।	

लगातार....

RAA

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

रूपा देवी बनाम ओमसिंह वगैरह

किस्म मुकदमाः–225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या 2026/51 (पुष्कर)

श्री अजीतसिंह राठौड़

लगातार...

निर्णित फरमाकर अनुग्रहीत करावें।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम, एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अवलोकन किया। बाद अवलोकन यह स्पष्ट है अपीलांट द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में किये गये कथन संतोषजनक एवं सद्भाविक प्रतीत होते है तथा आर0बी0जे0 (21) 2014 पेज संख्या 472 के न्यायिक दृष्टांत में अंकन है कि "**Purpose of Rules of limitation is not to destroy the rights of the parties, rather the idea is that every legal remedy must be kept alive for a legislatively fixed period of time.**" इस अनुसार हम प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर नरम रूख अपनाते हुए प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिन्दु पर नहीं कर मेरिट पर किया जाना उचित समझते हैं। अतः अपील प्रस्तुती में हुयी देरी को न्यायहित में कन्डोन कर प्रार्थना–पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते है। अतः **प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।**

तत्पश्चात अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र स्थगन बाबत निवेदन किया कि ग्राम नेडलिया स्थित आराजीयात वर्किंग खसरा नम्बर 446 रकबा 1–3–10 बीघा जिसके हाल खसरा नम्बर 559, 560 तथा 564/1005 कुल रकबा 0.19 हैक्टर में से 1/3 हिस्सा तथा वर्किंग खसरा नम्बर 713 जिसके हाल खसरा नम्बर 825, 825/1266 तथा 825/1267 कुल रकबा 2/9 हिस्सा प्रार्थीगण के पूर्वज श्री भंवरलाल का नामान्तकरण संख्या 463 दिनांक 28.07.2007 एवं वर्किंग जमाबंदी तथा पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 28.07.1975 के अनुसार निहित है जिस पर आज दिनांक काबिज काश्त चले आ रहे है।

यह कि बंदोबस्त विभाग द्वारा अकारण पूर्व प्रविष्टि को परिवर्तित कर प्रार्थीगण के पूर्वज की जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र प्रार्थीगण की खातेदारी/काश्तकारी की आराजीयात आधार जमाबंदी में पुनः विक्रेतागण के वारिसान/अप्रार्थीगण के नाम दर्ज कर दी गयी जिसकी आड में प्रार्थीगण को बेदखल कर जबरन अतिक्रमण करने तथा रिकार्ड में परितर्वतन करवाने तथा रहन, बेचान, मुंतकिल करने पर सख्त आमादा है जिसमें यदि वे सफल हो गये तो प्रार्थीगण जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र क्रयशुदा खातेदारी/काश्तकारी की भूमि से महरूम हो जायेंगे, जिससे प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति कारित होगी। प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर ताफैसला अपील अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलअंदाजी एवं मदाखलत उत्पन्न करने, बेदखली का नाजायज प्रयास करने, अतिक्रमण कारित करने एवं मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड में परितर्वन करने तथा रहन, बेचान, मुंतकिल करने से पाबंद फरमाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

तत्पश्चात अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र स्थगन पर की गई बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र स्थगन तथा अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन हमने पाया कि अपीलांट/ प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया गया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज कर अप्रार्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये। पक्षकारान के बीच विवादित

लगातार

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

रूपा देवी बनाम ओमसिंह वगैरह

किस्म मुकदमाः–225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या 2026 / 51 (पुष्कर)

श्री आशीष सिंह राठोड़
लगातार...

अप्रार्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये। पक्षकारान के बीच विवादित आराजीयात के संदर्भ में सद्भाविक वाद–विवाद मौजूद है। ऐसी स्थिति में स्थगन आदेश के अभाव में विवादित आरजीयात के खुर्द बुर्द होने की प्रबल संभावना है, अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विचाराधीन है जिसका अंतिम निस्तारण भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया जाना है।

किन्तु माननीय उच्चतर न्यायालयो ने भी अपने अनेको न्यायिक दृष्टांतो में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि वाद के विचाराधीन रहते हुए वादग्रस्त आराजीयात को संरक्षित एवं सुरक्षित रखा जाना चाहिए। अतः प्रकरण में वाद बाहुल्यता को रोकने के उद्देश्य से एवं वादग्रस्त आराजीयात को सुरक्षित रखने हेतु उभयपक्ष को विवादित आराजीयात को अन्यत्र रहन, बेचान एवं मुंतकिल नहीं किये जाने हेतु हेतु पाबंद किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः हम पक्षकारान के आर्थिक व्ययता एवं समय को मध्येनजर रखते हुए अपील को बिना गुणावगुण पर टिप्पणी करते हुए इसी स्तर पर निर्णित कर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है।

अतः अपील निर्णित की जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि वे उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का 60 दिवस में गुणावगुण पर अंतिम निस्तारण आवश्यक रूप से करें तब तक विवादित आराजीयात वाके ग्राम नेडलिया खसरा नम्बर 559, 560, 564 / 1005 कुल रकबा 0.19 हैक्टेयर व खसरा संख्या 825, 825 / 1266, 825 / 1267 कुल रकबा 0.14 हैक्टेयर भूमि को अन्यत्र रहन, बेचान एवं मुंतकिल नहीं करने हेतु उभयपक्ष को पाबंद किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण किये जाने के उपरांत हाजा न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्वतः निष्प्रभावी माना जायेगा। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर